



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3122]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21, 2019/भाद्र 30, 1941

No. 3122]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 2019/BHADRA 30, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

का.आ. 3428(ब).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (ई) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

सारणी में,

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में, दिल्ली के नीचे क्रम संख्या 20 के पश्चात संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"21	क्वालिटी रिसर्च एंड एनालिटिकल लैब प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं. 58/एन/एफ.एस.एस.ए.आई/2019 341, भू तल, एफ आई ई, पटपड़गंज, नई दिल्ली- 110092	रासायनिक जैविक "

[फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में उसमें निम्नलिखित का.आ. संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए:-

- (i) का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
- (iv) का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- (v) का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- (vi) का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
- (vii) का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
- (viii) का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
- (ix) का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
- (x) का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;
- (xi) का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
- (xii) का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2019;
- (xiii) का.आ. संख्या 1722 (अ), दिनांक 8 मई, 2019; और
- (xiv) का.आ. संख्या 2842 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 2019।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2019

S.O. 3428(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:-

In the table,

1. in 'A' related to NORTHERN REGION, under *Delhi*, after serial number 20, the following entries shall be inserted in respective columns namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"21	Quality Research and Analytical Labs Pvt. Ltd. Reg. No. 58/N/FSSAI/2019 341, GF, F.I.E., Patparganj, New Delhi-110092	Chemical Biological".

[F. No. 12012/01/2019-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- i. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017,
- ii. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017,
- iii. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017,
- iv. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017,

-
- v. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017,
 - vi. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017,
 - vii. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017,
 - viii. S.O. number 848(E) dated the 19th Feb, 2018,
 - ix. S.O. number 1516 (E) dated 28th March, 2018,
 - x. S.O. number 2426(E) dated 13th June, 2018,
 - xi. S.O. number 6207 (E) dated 12th December, 2018,
 - xii. S.O. number 1377(E) dated 8th March, 2019,
 - xiii. S.O. number 1722 (E) dated 8th May, 2019 and
 - xiv. S.O. number 2842 (E) dated 6th August, 2019.